भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-38
उत्तर देने की तारीख-25/11/2024

कक्षा एक से बारह तक नि:शुल्क शिक्षा

†38. डॉ. कल्याण वैजीनाथराव काले:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की पहली कक्षा से बारहवीं कक्षा तक सभी को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) क्या सरकार का उच्च शिक्षा के प्रति रूचि जगाने के लिए विद्यार्थियों को अन्य सुविधाएं प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों के विद्यालयों में उच्च शिक्षा के लिए कितना बजट आबंटन किया गया है; और
(घ) क्या सरकार का विशेषकर ग्रामीण विद्यालयों में नि:शुल्क शिक्षा के लिए अधिक धनराशि प्रदान करने का कोई विचार है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लागू है और यह संबंधित सरकार को 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को पड़ोस के स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने का अधिकार देता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) में कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों को कक्षा 1 (या उससे निचले) में उस कक्षा की क्षमता के कम से कम 25 प्रतिशत की सीमा तक धारा 2 के खंड (झ) के उप-खंड (iii) और (iv) में निर्दिष्ट स्कूलों में प्रवेश देने का प्रावधान है।

पूरे देश में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में समग्र शिक्षा वर्ष 2018-19 से शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

(आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा (टीई) की तीन पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजनाओं को मिला दिया गया है। यह स्कूली शिक्षा क्षेत्र के लिए प्री-स्कूल से कक्षा 12 तक का एक व्यापक कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। इस योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 की सिफारिशों के साथ भी अनुकूलित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा के माहौल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले जिसमें विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखा जाए और उन्हें अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाए।

योजना का मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और छात्रों के अधिगम परिणामों को बढ़ाना, स्कूली शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतराल कम करना, स्कूली शिक्षा के प्रावधान में न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना, आरटीई अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन में राज्यों को सहायता प्रदान करना और ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में शिक्षक शिक्षा संस्थानों को मजबूत बनाना है। यह योजना विभिन्न उपायों के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता, जैसे; शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों का सेवाकालीन प्रशिक्षण, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर उपलब्धि सर्वेक्षण का संचालन, अनुकूल शिक्षण वातावरण प्रदान करने हेतु प्रत्येक स्कूल को समग्र स्कूल अनुदान, पुस्तकालय अनुदान, पात्रता के अनुसार पाठ्यपुस्तकों और स्कूल यूनिफ़ार्म का प्रावधान, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान (आरएए), शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए सुधार संबंधी शिक्षण, आईसीटी और डिजिटल पहल, खेल एवं शारीरिक शिक्षा हेतु अनुदान, स्कूल मूल्यांकन, पढ़े भारत बढ़े भारत (पीबीबीबी), शिक्षकों के लिए प्रदर्शन संकेतक (पीआईएनडीआईसीएस), कला उत्सव, छात्रों के लिए भ्रमण यात्राएं, स्कूलों का एकीकरण तथा छात्र और शिक्षक विनिमय कार्यक्रम प्रदान करने पर केंद्रित है।

इसके अलावा, इस योजना के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूली शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूलों को खोलना/सुदृढ़ करना, स्कूल भवनों और अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों में स्कूल की अवसंरचना का विकास/सुदृढ़ीकरण, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना, उन्नयन और संचालन, पीएम-जनमन के तहत पीवीटीजी के लिए छात्रावासों का निर्माण, नेताजी सुभाषचंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की स्थापना, अविकसित एसटी आबादी के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत छात्रावासों का निर्माण, आरटीई अधिनियम के तहत प्रतिपूर्ति, विभिन्न गुणात्मक घटक, शिक्षक शिक्षा को सुदृढ़ बनाना और डाइट/बीआरसी/सीआरसी को सुदृढ़ बनाना, आईसीटी और डिजिटल उपाय का प्रावधान शामिल है।

समग्र शिक्षा योजना के तहत शहरी वंचित बच्चों, समय-समय पर पलायन से प्रभावित बच्चों और दूरदराज और बिखरी हुई बस्तियों में रहने वाले बच्चों पर भी ध्यान दिया जाता है।

इस योजना के तहत उपाय की योजना बनाते समय विशेष फोकस जिलों (एसएफडी), शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईईबी), एलडब्ल्यूई (वामपंथी चरमपंथ) प्रभावित जिलों और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया है।

(ग): पिछले तीन वर्षों के दौरान समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत बजट आवंटन निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वर्ष	संशोधित अनुमान (रु. करोड़ में)
1.	2021-22	30,000.00
2.	2022-23	32,514.67
3.	2023-24	33,000.00

स्रोत : वित्त अनुभाग

प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएमश्री) नामक एक नई केंद्र प्रायोजित योजना वर्ष 2022 में शुरू की गई है। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक सहित इन 14500 स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कार्यान्वयन करना है और समय के साथ अनुकरणीय स्कूल के रूप में उभरना भी है, साथ ही पड़ोस के अन्य स्कूलों को नेतृत्व प्रदान करना है। वर्ष 2023-24 के लिए पीएम-श्री योजना का संशोधित अनुमान 2800 करोड़ रुपये था।

(घ): केन्द्र सरकार समय-समय पर विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निधि का उपयुक्त आवंटन करती है।

*****